रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 22 सितम्बर, 2003/31 भाद्रपद, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 22 सितम्बर, 2003

संख्या एल0एल0आर0डी0(6)26/2003.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-9-2003 को

प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का अध्यादेश संख्यांक 7) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

2003 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक---7-----

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (1970 का 17) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 है। संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (12) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात:- धारा 2 का संशोधन।

"(13) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;"।

3. मूल अधिनियम की धारा 9-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात :- धारा 9-ख का जोड़ना।

"9-ख. राज्य सरकार की जांच करने की शक्ति . - राज्य सरकार, अपने किन्हीं अधिकारियों या अभिकरण द्वारा, जैसा यह निदेश दे, विश्वविद्यालय या इसके द्वारा पोषित संस्थाओं के प्रशासन और वित्त-प्रबंधन से संबद्ध किन्हीं मामलों पर जांच करवा सकेगी और ऐसी जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी और राज्य सरकार इसका परीक्षण करने के पश्चात, रिपोर्ट को कुलाधिपति को अग्रेषित करेगी और कुलपति को हटाए जाने सहित किसी भी प्रकार की कारवाई करने की

भी सिफारिश करेगी यदि इसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यामान हैं जो इस अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) में अन्तर्विष्ट हैं और कुलाधिपति तदनुसार कारवाई करेगा:

परन्तु कुलाधिपति ऐसी कारवाई करने से पूर्व कुलपति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।''।

धारा 12 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 12 में,-

(i) उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धाराएं जोड़ी जाएगी, अर्थात:-

"(4-क). कुलाधिपति, साधारण या विशेष आदेश द्वारा कुलपति को निलम्बित कर सकेगा,-

(क) जहां, इस धारा की उप-धारा (5) के अधीन कोई जांच अनुध्यात है या लम्बित है; या

(ख) जहां, कुलाधिपति की राय में, वह विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्रियाकलापों में लगा हुआ है; या

(ग) जहां किसी दाण्डिक अपराध की बाबत उसके विरूद्ध कोई मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है; या

(घ) जहां उसका कार्यालय में बना रहना अन्वेषण, जांच या विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा (अर्थात गवाहों और दस्तावेजों से आशंकित छेड़छाड़)।

"(4-ख)निलम्बित कुलपति छुट्टी सम्बलम् की रकम के बराबर जीवन-निर्वाह भत्ते का, जिसे कुलपति ने अर्हित किया होता यदि वह अर्ध औसत वेतन या अर्ध वेतन पर छुट्टी पर होता, और इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ते का, यदि यह ऐसे छुट्टी सम्बलम् के आधार पर अनुज्ञेय है, हकदार होगा:

परन्तु जहां निलम्बन की अवधि तीन मास से अधिक हो जाती है तो कुलाधिपति जीवन-निर्वाह भत्ते की रकम में, प्रथम तीन मास की अवधि की पश्चात्वर्ती

किसी अवधि के लिए, निम्नलिखित रूप में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा:-

(i) जीवन-निर्वाह भत्ते की रकम की उपयुक्त रकम द्वारा, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय जीवन-निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक न हो, बढ़ोतरी की जा सकेगी, यदि कुलाधिपति की राय में, निलम्बन की अवधि, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जा सकेंगे, बढ़ी है जो प्रत्यक्षत: कुलपति को आरोप्य नहीं है;

(ii) जीवन-निर्वाह भत्ते की रकम उपयुक्त रकम द्वारा, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय जीवन-निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक न हो, घटाई जा सकेगी, यदि कुलाधिपति की राय में, निलम्बन की अवधि, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जा सकेंगे, बढ़ी है जो प्रत्यक्ष कुलपति को आरोप्य हैं; और

(iii) मंहगाई भत्ते की दर खण्ड (i) और (ii) के अधीन अनुज्ञेय जीवन-निर्वाह भत्ते की, यथास्थिति, बढ़ी हुई या घटी हुई रकम पर आधारित होगी।

(4-ग) उप-धारा (4-ख) के अधीन तब तक कोई संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि कुलपति यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है कि वह किसी अन्य नियोजन, कारबार, वृति या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है।''।

(ii) उप-धारा 5 के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

''परन्तु इस अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 9 या धारा 9-ख के अधीन किसी जांच की रिपोर्ट पर कोई कारवाई करने की दशा में, इस उप-धारा के अधीन कोई और जांच आवश्यक नहीं होगी परन्तु कुलपति को, जांच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध करवाने के पश्चात्, सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।''

धारा 12-ग का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 12-ग में, उप-धारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"(7) कुलपति आपात स्थिति में जिसमें, उन शक्तियों, जो उसमें निहित नहीं हैं, की बाबत तुरन्त कारवाई की जानी अपेक्षित हो, कारणों को अभिलिखित

करके ऐसी कारवाई करेगा जैसी वह आवश्यक समझे और, मामले को ऐसे प्राधिकरण, जो ऐसी शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम हों, के समक्ष इसकी ठीक आगामी बैठक में पुष्टि के लिए रखेगा न कि साठ दिन के पश्चात्, ऐसा न होने पर, उस द्वारा की गई कारवाई प्रभावहीन हो जाएगी और यदि कुलपति द्वारा की गई कारवाई की पुष्टि ऐसे प्राधिकरण द्वारा नहीं की जाती है तो वह भी प्रभावहीन हो जाएगी:

परन्तु य कुलपति द्वारा ऐसी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग, किसी पोजीशन या समनुदेशन पर कोई नियुक्ति करने या किसी पदधारी को ऐसी पोजीशन या समनुदेशन से हटाए जाने के लिए नहीं किया जाएगा।''।

धारा 15 का प्रतिस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"15. रजिस्ट्रार.--(1) एक रजिस्ट्रार होगा जो न्यायालय, कार्यकारी परिषद और विद्या परिषद का पदेन सदस्य-सचिव होगा और उन अधिकारियों में से, जिनका भारतीय प्रशासनिक सेवा में कम से कम पांच वर्ष का सेवाकाल हो या राज्य सरकार के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में कम से कम नौ वर्ष का सेवाकाल हो, प्रतिनियुक्ति द्वारा, ऐसा न होने पर विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के विद्यमान उपबन्धों के अधीन पात्र व्यक्तियों में से चयन द्वारा, नियुक्त किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।''।

धारा 16 का प्रतिस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"16. वित्त अधिकारी.--(1) एक वित्त अधिकारी होगा जो वित्त समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा और हिमाचल प्रदेश राज्य अधीनस्थ लेखा सेवाओं (सामान्य शाखा) के अधिकारियों में से, जो नियन्त्रक की पंक्ति से नीचे के न हों, प्रतिनियुक्ति द्वारा, ऐसा न होने पर विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश

के विद्यमान उपबन्धों के अधीन पात्र व्यक्तियों में से चयन द्वारा, नियुक्त किया जाएगा।

(2) वित्त अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।''।

8. मूल अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (i) के खण्ड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड (v) जोड़ा जाएगा, अर्थात :- धारा 21 का संशोधन।

(v) रजिस्ट्रार-सदस्य सचिव : ''।

9. मूल अधिनियम की धारा 35 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात:- धारा-35-क का जोड़ना।

''35-क. पदों इत्यादि का सृजन.- विश्वविद्यालय द्वारा सृजित किसी पद, पोजीशन और समनुदेशन का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न हो।''।

विष्णु सदाशिव कोकजे,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

शिमला:
तारीख:----------, 2003.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. Ordinance No.---7-----of 2003

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 2003.

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fifty - fourth Year of the Republic of India.

AN
ORDINANCE

Further to amend the Himachal Pradesh University Act, 1970 (Act No. 17 of 1970)

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title

1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh University (Amendment) Ordinance,2003.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh University Act, 1970 (hereinafter called the "principal Act"), after clause (12), the following clause shall be added, namely:-

"(13) "State Government" means the "Government of Himachal Pradesh".

Addition of section 9-B.

3. After section 9-A of the principal Act , the following section shall be added, namely:-

"9-B. Power of State Government to enquire .- The State Government may, cause an enquiry to be made by any of its officers or agency, as it may direct on any matters connected with the administration and finances of the University or the institutions maintained by it and the report of such enquiry shall be sent to the State Government and the State Government after examining the same, shall forward the report to the Chancellor

and may also recommend any action including removal of Vice-Chancellor if in its opinion there exist such circumstances as are contained in sub –section (5) of section 12 of this Act and the Chancellor shall take action accordingly:

Provided that before taking such action, the Chancellor shall afford reasonable opportunity of being heard to the Vice-Chancellor.".

4. In section 12 of the principal Act, - Amendment of section 12.

(i) after sub-section (4), the following sub-sections shall be added, namely:-

"(4-a). The Chancellor, by general or special order, may place the Vice-Chancellor under suspension,-

(a) where an enquiry under sub-section(5) of this section is contemplated or is pending; or

(b) where, in the opinion of the Chancellor, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the University; or

(c) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial; or

(d) where his continuance in office will prejudice the investigation, inquiry or trial (e.g. apprehended tempering with witnesses or documents).

(4-b).The Vice-Chancellor under suspension shall be entitled to a subsistence allowance at an amount equal to the leave salary which the Vice-Chancellor would have drawn if he had been on leave on half average pay or on half pay and in addition, dearness allowance, if admissible on the basis of such leave salary:

Provided that where the period of suspension exceeds three months, the Chancellor shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows:-

(i) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount, not exceeding fifty percent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if, in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing, not directly attributable to the Vice-Chancellor;

(ii) the amount of subsistence allowance, may be reduced by a suitable amount, not exceeding fifty percent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged due to reasons, to be recorded in writing, directly attributable to the Vice-Chancellor; and

(iii) the rate of dearness allowance shall be based on the increased or, as the case may be, the decreased amount of subsistence allowance admissible under clause (i) and (ii).

(4-c). No payment under sub-section (4-b) shall be made unless the Vice -Chancellor furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.".

(ii) at the end of sub – section (5), the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that in the event of taking any action on a report of an enquiry under section 9 or section 9 –B of this Act, as the case may be , no further enquiry shall be necessary under this sub-section but the Vice – Chancellor shall be afforded an opportunity of being heard after making him available a copy of enquiry report .".

Amendment of section 12-C.

5. In section 12-C of the principal Act, for sub-section (7), the following shall be substituted, namely:-

"(7) In case of emergency warranting immediate action to be taken, in respect of powers not vested in him, the Vice – Chancellor shall take such action as he deems necessary after recording reasons in writing and shall place the matter before the authority, competent to exercise such powers, for confirmation in its next following meeting but not later than sixty days, failing

which the action taken by him shall cease to have any effect and if the action taken by the Vice – Chancellor is not confirmed by such authority, the same shall also cease to have any effect:.

Provided that such emergency powers shall not be exercised by the Vice- Chancellor for making any appointment to any position or assignment or removal of any incumbent from such position or assignment .".

6. For section 15 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:- Substitution of section 15.

"15. Registrar.- (1) There shall be a Registrar who shall be ex-officio Member- Secretary of the Court, the Executive Council and the Academic Council and shall be appointed by deputation from amongst the officers who have put in atleast five years service in the Indian Administrative Services or atleast nine years service in Himachal Pradesh Administrative Services, under the State Government, failing which by selection from amongst those eligible under the existing provision of the first Ordinance of the University.

(2) The Registrar shall exercise such powers and discharge such duties as may be prescribed by the Statutes.".

7. For section 16 of the principal Act, following shall be substituted, namely:- Substitution of section-16

"16. Finance Officer.-(1) There shall be Finance Officer who shall be the ex-officio Member- Secretary of the Finance Committee and shall be appointed by deputation from amongst the officer of the Himachal Pradesh State Subordinate Accounts Services (Ordinary Branch), not below the rank of Controller, failing which by selection from amongst those eligible under the existing provision of the First Ordinances of the University.

(2) The Finance Officer shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed by the Statutes.".

8. In section 21 of the principal Act, in sub-section (1), after clause(iv), the following clause (v) shall be added, namely:- Amendment of section-21.

"(v) Registrar : Member - Secretary.".

Addition of section 35-A

9. After section 35 of principal Act, the following shall be added, namely:-

"35-A. Creation of posts etc.- No post, position and assignment created by the University shall have any effect unless approved by the State Government.".

मैं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 के अपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

विष्णु सदाशिव कोकजे,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

माननीय राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 के अपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित